संख्या :237 /XVII-1/2010-16(बजट)/2004

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त
एवं विकास निगम, देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–01. देहरादून, 09 मार्च 2010.

विषय :"अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हेतु शिल्पीग्राम योजना"।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–287/स.क./2004-12(बजट)/2004, दिनांक 07 फरवरी 2005 तथा शासनादेश संख्या–287/XVII(1)-1/2005-16(बजट)/2004, दिनांक 19 मार्च 2005 को अतिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के पारम्परिक शिल्प के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित शिल्पीग्राम योजना के क्रियान्वयन में आ रही कतिपय व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करते हुए उसे अधिक सरल एवं प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से "अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हेतु शिल्पीग्राम योजना" को निम्नानुसार क्रियान्वित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

उद्देश्य : योजना के उद्देश्य निम्नवत् होंगे–

(1) परम्परागत शिल्पों को रोजगारपरक आयजनित गतिविधि के रूप में विकसित करना।

(2) इन शिल्पों में संलग्न परिवारों को विशेषज्ञ शासकीय एजेन्सी यथाः बांस एवं रेशा विकास परिषद, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, रेशम निदेशालय एवं अन्य प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से समुचित प्रशिक्षण देना ताकि उनकी कार्य कुशलता एवं दक्षता में अभिवृद्धि की जा सके।

(3) नई तकनीकों एवं डिजाइनों का प्रसार एवं अनुसन्धान करना।

(4) शिल्पी परिवारों को शिल्प अभिमुखीकरण प्रशिक्षण देना तथा शिल्पों के बारे में उनकी सम्पूर्ण जागरूकता स्तर की अभिवृद्धि करना।

(5) शिल्पियों के क्लस्टर का चिन्हांकन एवं उस क्लस्टर में आधारभूत सूचना तैयार करना, जिसके माध्यम से वित्तपोषण, कच्चे माल की आपूर्ति, उत्पादित सामग्री का संकलन एवं विपणन आदि की व्यवस्था की जा सके।

(6) विपणन प्रोत्साहन हेतु हाट, मेले, प्रदर्शनी आदि मे उत्पादों को विक्रय के लिये सुविधा प्रदान करना।

(7) शिल्प एवं शिल्पकारों से सम्बन्धित विषयों पर परिचर्चाएं, संगोष्ठी एवं कार्यशालाएं आयोजित करना।

क्रमशः पृष्ठ–02 पर...

(8) शिल्पियों के क्लस्टर में कार्यशाला बनाना, जिसमें सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित शिल्पी अपना व्यवसाय प्रशिक्षण के उपरान्त प्रारम्भ कर सके।

(9) राज्य में विभिन्न विभाग/बोर्ड यथाः उत्तरांचल बांस एवं रेशा विकास परिषद तथा उत्तरांचल भेड़ एवं ऊन विकास परिषद, रेशम निदेशालय, खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड तथा सामाजिक कल्याण के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्था एवं स्वयं सहायता समूहों का शिल्पी ग्राम योजना के क्रियान्वयन में सहयोग एवं सहभागिता सुनिश्चित करना।

पात्रता : इस योजना के अन्तर्गत परम्परागत शिल्पों में लगे हुए उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के गरीबी की रेखा के दोगुनी आय सीमा (ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 40,000 वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र में रूपये 55,000 वार्षिक) के शिल्पी पात्र होंगे। एक परिवार में एक से अधिक शिल्पियों को भी प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी किन्तु वित्तपोषित एक परिवार के एक ही सदस्य को किया जाएगा। योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र आच्छादित होंगे।

घटक : परियोजना के मुख्य घटक निम्नलिखित होंगे–

1. सर्वेक्षण, अध्ययन एवं सतत् अनुश्रवण।
2. प्रशिक्षण, क्षमता विकास एवं कौशल वृद्धि।
3. वित्त पोषण।
4. डिजाइन डेवलपमेंट एवं तकनीकी सहयोग।
5. विपणन।
6. अवस्थापना विकास।

1. **सर्वेक्षण, अध्ययन एवं सतत अनुश्रवण** : प्रदेश में प्रचलित परम्परागत शिल्पों से सम्बन्धित शिल्पियों एवं उनके क्लस्टर का पूर्व में सर्वेक्षण किया गया है। तथापि योजना के क्रियान्वयन के दौरान जो शिल्पी एवं उनसे सम्बन्धित क्लस्टर इस सर्वेक्षण से छूट गए हों, उनको भी इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित करने के लिये सम्मिलित कर लिया जाए। उक्त उल्लिखित शासकीय संस्थाओं अथवा प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित विभिन्न शिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रमों का किसी वाह्य विशेषज्ञ संस्था से सतत् मूल्यांकन एवं अनुश्रवण (Concurrent Monitoring) किया जाना भी आवश्यक है। जिससे योजना के क्रियान्वयन में प्राप्त सफलता, प्रगति एवं आने वाली कठिनाईयों की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इस हेतु योजना में आवंटित धनराशि का तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष व्यय किया जाएगा। इस धनराशि का उपयोग उक्त मदों के अतिरिक्त परामर्शदाताओं की नियुक्ति, विशेषज्ञ सेवाओं को प्राप्त करने, शिल्प ग्रामों, शिल्पियों एवं शिल्पी परिवारों के विषय में आधारभूत डाटा एवं सूचनाएं तैयार करने में किया जाएगा।

2. **प्रशिक्षण, क्षमता विकास एवं कौशल वृद्धि** : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जो लाभार्थी इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किए जाएंगे, उनको सफल स्वरोजगारी बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। शिल्पी ग्राम योजना के अन्तर्गत विभिन्न शिल्पों में प्रशिक्षण देते समय विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण के दौरान शिल्पियों

क्रमशः पृष्ठ–03 पर...

को जागरूकता सृजन, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, योजना का प्रचार–प्रसार, शिल्पियों का अभिमुखीकरण, सम्बन्धित शिल्प में लगे शिल्पियों के कौशल में अभिवृद्धि, परम्परागत शिल्पों में नवीन डिजायन विकास व तकनीक का समावेश एवं विपणन व बाजार की प्रवृत्तियों की जानकारी विस्तार से दी जाएगी एवं प्रशिक्षण में उद्यमिता विकास को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाएगा। प्रत्येक क्लस्टर में कम से कम 20 शिल्पियों के समूह को सम्बन्धित शिल्प में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था को प्रशिक्षण लागत की धनराशि क्रमिक रूप से आरम्भ में 50 प्रतिशत, प्रशिक्षण के दो माह बाद 25 प्रतिशत तथा प्रशिक्षण समाप्त होने पर शेष 25 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। प्रशिक्षण हेतु उत्पादन के कच्चे माल की आपूर्ति हेतु धनराशि के मानकीकरण तथा स्वयं सहायता समूह के चयन हेतु प्रत्येक जनपद में एक समिति गठित की जाएगी। उक्त समिति तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए गैर–सरकारी संस्थाओं/स्वयं सहायता समूहों का चयन प्रतियोगी न्यूनतम दरों के आधार पर तथा योजनान्तर्गत सामग्री आदि का क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेगी। समिति निम्नानुसार होगी–

1. मुख्य विकास अधिकारी : अध्यक्ष;
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी : सदस्य;
3. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र : सदस्य.

2.2 प्रशिक्षण के दो मुख्य प्रकार के होंगे। प्रथमतः सूचना सम्बन्धी प्रशिक्षण, जिसके अन्तर्गत लाभार्थी को स्वरोजगार के प्रति अभिप्रेरित किया जाना सम्मिलित है। दूसरी श्रेणी के अन्तर्गत ऐसे लाभार्थियों की दक्षता के स्तर में गुणात्मक परिवर्तन एवं अभिवृद्धि लाना सम्मिलित है, जिससे उनकी कार्यक्षमता एवं उत्पादकता में वृद्धि हो सके। प्रथम श्रेणी में सामान्यतया अल्पकालिक प्रशिक्षण सम्भव होंगे। जिसमें मुख्यतः अभिनव विकास, प्रचार–प्रसार एवं संक्षिप्त गोष्ठियां एवं सेमीनार के माध्यम से लाभार्थियों को जानकारी प्रदान की जायेगी। जबकि क्षमता विकास हेतु कौशल आधारित प्रशिक्षण (Skill Based Training) के अन्तर्गत तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण सम्मिलित किये जायेंगे जो तुलनात्मक दृष्टि से अधिक अवधि के होंगे। शिल्पियों को प्रशिक्षण प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से प्रदान किया जायेगा। तकनीकी सहयोग के अन्तर्गत शिल्पियों को प्रदत्त प्रशिक्षण के उपरान्त उत्पादन की गुणवत्ता और क्षमता के दृष्टिगत प्रशिक्षित शिल्पियों को आधुनिक मशीनें क्रय करने एवं डिजायन विकास के लिये ऋण सहायता प्रदान की जायेगी।

2.3 शिल्प विशेष में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चयनित प्रशिक्षक को बाजार दरों का मूल्यांकन करने के पश्चात प्रतिमाह मानदेय निर्धारित किया जायेगा। प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण के दौरान उत्पादित सामग्री का 50 प्रतिशत भाग प्रशिक्षण केन्द्र में प्रदर्शन हेतु रखा जायेगा, अवशेष 50 प्रतिशत भाग लाभार्थियों को ही वितरित कर दिया जायेगा। संस्थाओं द्वारा अपने प्रस्ताव में प्रशिक्षण में आने वाले समस्त व्ययों को मानकीकृत किया जायेगा। एक ही जनपद में विभिन्न ग्रामों में दिये जाने वाले शिल्प विशेष की प्रशिक्षण लागत लगभग एक समान होगी किन्तु पृथक–पृथक जनपदों में इस लागत में भिन्नता भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षणार्थियों को भी प्रशिक्षण के दौरान रूपये 500 प्रतिमाह के वजीफे (Stipend) का भुगतान निगम द्वारा किया जायेगा।

क्रमशः पृष्ठ–04 पर..

2.4 प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा जिस क्लस्टर में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा हो, वहां पर प्रशिक्षण का विवरण दर्शाता हुआ एक साइन बोर्ड लगाया जायेगा। जिसमे प्रशिक्षण व्यवसाय, प्रशिक्षण की अवधि आदि अंकित की जायेगी। साथ ही प्रशिक्षण स्थान में करने की तिथि, प्रशिक्षण की अवधि एवं प्रशिक्षणार्थियों की संख्या भी अंकित होगी। इसके अतिरिक्त संस्था में एक निरीक्षण पंजिका का भी रखरखाव किया जायेगा। प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थित पंजिका एवं प्रशिक्षण से सम्बन्धित निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये कच्चे माल एवं अन्य सामग्रियों का विवरण रखने के लिये एक भण्डारण पंजिका का भी रखरखाव सम्बन्धित प्रशिक्षक द्वारा किया जायेगा। समय–समय पर निगम अधिकारियों एवं अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण अवधि के अनुरूप साप्ताहिक/पाक्षिक भ्रमण कर मूल्यांकन/जांच की जाएगी। प्रत्येक जनपद में चिन्हांकित शिल्प क्लस्टरों में यह प्रशिक्षण चलाया जायेगा। जो क्लस्टर छूट गये हैं, निगम के जनपदीय कार्यालय द्वारा उन क्लस्टर को भी इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित करते हुए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ कराये जाएंगे एवं सभी क्लस्टर को संतृप्त (Saturate) किया जायेगा। इस प्रकार प्रथम चरण में संचालित सामान्य प्रशिक्षण की अवधि तीन माह होगी।

2.5 सामान्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त कतिपय चयनित प्रशिक्षणार्थियों में से कुशल शिल्पियों का चयन कर उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये मास्टर क्राफ्टमैन वाह्य स्रोतों/अन्य प्रदेशों से भी बुलाए जा सकेंगे एवं उन्हें बाजार में प्रचलित दरों के आधार पर मानदेय दिया जाएगा। व्यवसायिक प्रशिक्षण के दौरान उत्पादित वस्तुओं में से 75 प्रतिशत उत्पाद क्राफ्टमैन द्वारा द्वारा समय–समय पर लगने वाले हाट, प्रदर्शनी, मेलों में विक्रय किए जाएंगे। जिसकी धनराशि प्रशिक्षण प्राप्त समूह को पंजीकृत कराकर उनको स्वयं सहायता समूह बनाने हेतु प्रेरित किया जाएगा एवं उस समूह के रिवॉल्विंग फण्ड में इस धनराशि को दिया जाएगा। शेष 25 प्रतिशत उत्पाद प्रशिक्षणार्थी के पास उपलब्ध रहेगी। प्रशिक्षण की अवधि कम से कम 6 माह होगी। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु सम्बन्धित संस्था को बाजार दर पर भवन किराया, प्रशिक्षक का मानदेय, प्रशिक्षण में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल के व्यय की प्रतिपूर्ति भी इस योजना के अन्तर्गत निगम द्वारा की जाएगी। किन्तु प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत उक्त सभी मदों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम रूपये 10,000 प्रति लाभार्थी ही देय होगा। प्रशिक्षक/स्वयं सहायता समूह के साथ निगम द्वारा एक अनुबन्धपत्र भी सम्पादित किया जाएगा।

3. <u>वित्तपोषण</u> : प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता की समीक्षा, प्रशिक्षण संस्था द्वारा की जाएगी कि क्या प्रशिक्षणार्थियों द्वारा उत्पादित वस्तु बाजार की प्रतिस्पर्धा में टिकेगी अथवा नहीं? यदि गुणवत्ता में कमी पाई गई तो विशेष प्रावधान के तहत प्रशिक्षण को अधिकतम तीन माह तक बढ़ाया जाएगा। उसके पश्चात् लाभार्थियों को प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिये निगम द्वारा संचालित स्वतः रोजगार योजना अथवा जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ऋण, अनुदान एवं मार्जिनमनी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

क्रमशः पृष्ठ–05 पर...

4. **डिजाइन डेवलपमेंट एवं तकनीकी सहयोग** : चूंकि व्यवसायिक प्रशिक्षण अपने आप में उत्पादन केन्द्र भी होगा, इसलिये स्थानीय शिल्पियों का प्रशिक्षण विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा किया जाना आवश्यक होगा, जो राज्य के बाहर के प्रदेशों से भी लाए जा सकेंगे। ऐसे विशेषज्ञ प्रशिक्षकों को आने–जाने का वास्तविक किराया, ठहरने एवं भोजन आदि की न्यूनतम एवं वास्तविक सुविधा एकमुश्त रूप से प्रशिक्षणदायी संस्था के माध्यम से निगम द्वारा दी जाएगी। यही विशेषज्ञ प्रशिक्षक स्थानीय शिल्पियों को मास्टर क्राफ्टमैन का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। संस्था को प्रशिक्षण हेतु दिये गये धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र संस्था द्वारा निगम को दिया जायेगा। प्रशिक्षणदायी संस्था ही शिल्पी द्वारा उत्पादित सामग्री की गुणवत्ता, विपणन, आधुनिक डिजायनों का समावेश, ब्रांडिंग, ग्रेडिंग का कार्य करेगी तथा कम से कम दो वर्ष तक इन योजनाओं का अनुश्रवण करेगी। अन्यथा संस्था को स्वीकृत कुल धनराशि में से 20 प्रतिशत धनराशि का भुगतान रोक लिया जाएगा एवं भविष्य में उन्हें प्रशिक्षण हेतु नामित करना सम्भव नहीं होगा।

5. **विपणन** : प्रशिक्षण के दौरान ही विशेषज्ञ प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा शिल्पियों को विपणन की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। जिसके अन्तर्गत स्थानीय रूप से कच्चे माल की उपलब्धता, स्थानीय आवश्यकता के आधार पर बैकवर्ड लिंकेज एवं फारवर्ड लिंकेज के दृष्टिगत ही शिल्पियों द्वारा अपने उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। प्रशिक्षण से पूर्व इन संस्थाओं से शिल्पियों को विपणन में सक्रिय सहयोग प्रदान करने हेतु निगम द्वारा एम.ओ.यू. भी सम्पादित कराया जाएगा। योजनान्तर्गत विपणन प्रोत्साहन की व्यवस्था के तहत लाभार्थियों द्वारा उत्पादित माल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के दृष्टिगत आयोजित किये जाने वाले क्षेत्रीय, राज्य स्तरीय एवं अन्तर्राज्यीय प्रदर्शनी स्थलों में स्टाल लगाने एवं माल की ढुलाई में आने वाले व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति योजना राशि से की जाएगी। यह राशि परियोजना लागत का हिस्सा नहीं होगी, अपितु योजनान्तर्गत वित्तपोषित अथवा अन्य पात्र उद्यमी को एकमुश्त अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों हेतु लाभार्थी को मालढुलान एवं स्टाल किराया के लिये वास्तविक व्यय की धनराशि का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम रूपये 5,000 तथा राज्य से बाहर आयोजित प्रदर्शनियों हेतु अधिकतम रूपये 10,000 की धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह सहायता Critical Gap के रूप में अन्य विभागों से इस मद में सहायता न मिलने पर ही दी जाएगी। यह सहायता किसी लाभार्थी को एक ही बार अनुमन्य होगी।

6. **अवस्थापना विकास** : शिल्पी ग्राम योजनान्तर्गत स्वरोजगार हेतु वित्तपोषित लाभार्थियों के व्यवसाय को सुदृढ़ और आयजनक बनाने के लिये ऋण आदि के साथ–साथ कतिपय अन्य सहायक सुविधाओं एवं सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। अवस्थापना विकास एवं सहायक सुविधाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों का स्वयं सहायता समूह गठित करने, उन्हें सहकारिता विभाग से पंजीकृत कराने एवं समूह आधारित परियोजनाओं हेतु कम से कम 20 शिल्पियों के पंजीकृत समूह को उनके वर्कशेड आदि की स्थापना के लिए अवस्थापना मद में 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 50,000 की धनराशि चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण के रूप में प्राविधानित की जाएगी। जिसकी वसूली 60 समान किस्तों में सम्बन्धित क्लस्टर/शिल्पियों के समूह से की जाएगी। समूह जिस शिल्प विशेष में प्रशिक्षित हो, शिल्पियों के समूह के रूप में उसी क्रियाकलाप को चला सकेगा। इसके

क्रमशः पृष्ठ–06 पर

अतिरिक्त पर्याप्त बाजार क्षमता (Market Potential) का स्थान उपलब्ध होने पर केन्द्रीकृत इम्पोरियम हेतु भी धनराशि इस योजना से वहन की जा सकती है। इसका स्वामित्व निगम का ही रहेगा।

<u>योजना का मूल्यांकन अनुश्रवण एवं समीक्षा</u> : योजना के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन, सतत् अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया जाता है। उक्त समिति समय-समय पर योजना की प्रगति समीक्षा एवं योजना में निहित वित्तीय एवं भौतिक मानकों में संशोधन हेतु मार्गदर्शन देने तथा व्यय की मदों में परिवर्तन एवं परिवर्द्धन के लिए सक्षम होगी। साथ ही यह समिति इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य में गठित विभिन्न विशेषज्ञ बोर्ड, जिनके प्रमुख इसके सदस्य है, से समन्वय स्थापित करने एवं सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स का उपयोग करने के लिए भी सक्षम होगी। जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे-

(1) अपर निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड।
(2) सहायक महाप्रबन्धक, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (एस.एल.बी.सी.)
(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड।
(4) महाप्रबन्धक, उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, देहरादून।

<u>विशेष आमंत्रित सदस्य</u>

(5) मुख्य अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड बम्बू एण्ड फाइवर डेवलपमेन्ट बोर्ड।
(6) निदेशक, रेशम विभाग, उत्तराखण्ड।
(7) प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन निगम या उनके द्वारा नामित अधिकारी।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किए जा रहे हैं। कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव एवं आयुक्त।

क्रमशः पृष्ठ-07 पर...

पृष्ठांकन संख्या : 237 (1)/XVII-1/2010-16(बजट)/2004, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–माननीय मंत्री/राज्यमंत्री, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, सम्बन्धित विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
8. निदेशक, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी, देहरादून।
10. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/पदेन जिला प्रबन्धक, उत्तरांचल बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम, उत्तराखण्ड।
12. समस्त अग्रणी जिला प्रबन्धक, लीड बैंक, उत्तराखण्ड।
13. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।